समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व रिवीजन कमांक /2013

आवेदक —

विनोद कुमार भाटिया,
पिता चमनलाल भाटिया
निवासी 439 हाउबाग रोड,
जार्ज डिसल्वा वार्ड,
गोरखपुर—जबलपुर

R 972-I/13

8/3/13

//विरूध्द//

प्रत्यर्थीगण—

1. रमेश सिंह आत्मज स्व.रघुवीर सिंह
2. अनिरूद्ध सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
4. अजयपाल सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
5. संतसिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह

   सभी निवासी मालगुजारी बखरी
   पंचायती अखाडे के पास, गोरखपुर,
   जबलपुर,म0प्र0

6. म.प्र.शासन

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक/12/अ—6/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2012 से व्यथीत होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करते हैं :—

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 972–एक/2013 निगरानी जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.6.16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/2010–11 अ–6 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–12–12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जिला जबलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 24–12–12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण कमांक 12/2010–11 अ–6 में अपीलांट की ओर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 49(3) का आवेदन दिनांक 22–6–12 को प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आवेदन के जवाव हेतु दिनांक 22–11–12 से आगामी पेशी 3–12–12 नियत की। इस तिथि को रिस्पा0 की ओर से जवाव प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर आगामी तिथी 24–12–12 नियत की। दिनांक 24–12–12 को अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित हुये, किन्तु रिस्पा0 के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय	

कार्यवाही करते हुये अपीलांट का धारा 49(3) का आवेदन स्वीकार कर लिया एंव पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष निगरानी करने पर निगरानी श्रवण करने के अधिकार न होने से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ एकपक्षीय आदेश दिनांक 24-12-12 के विरूद्ध आवेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 29-12-12 को संहिता की धारा 35(3) का आवेदन देकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने की मांग रखी है आगामी पेशी 15-1-13 को अनुविभागीय अधिकारी ने आर्डरशीट में लिखा है कि -

" संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। एक प्रति अपीलार्थी अभि0 को दी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता व्दारा म0प्र0रा0सं0 की धारा 32 के तहत आवेदन पेश किया एक प्रति उत्तरवादी अधिवक्ता को दी गई। प्रकरण आवेदन पर जबाव एंव तर्क हेतु ।"

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा धारा 35(3) के आवेदन पर तथा धारा 32 के आवेदन पर सुनवाई की जा रही है इन पर अंतिम निर्णय होना है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

सदस्य